

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: एस्टे/एम/एफ.10()/आरएमएस(टी)/डीएलबी/21/

दिनांक: 15/03/2021

1713-2433

अधीक्षण/अधिशायी/सहायक/कनिष्ठ अभियंता,
(सिविल/विद्युत/यान्त्रिक)
(राजस्थान नगर पालिका सेवा)
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
.....।

विषय :- संतान संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने के संबंध में निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र/शपथ-पत्र विभाग को सात दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

(संजीव कुमार पाण्डेय)
अतिरिक्त निदेशक